न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–128 / 2021
GCMS NO:- 2021/244

दायर दिनांक: 24.08.2021

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. कन्या पत्नि बुद्धिप्रकाश जाति माली निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. जितेन्द्र पुत्र बुद्धिप्रकाश जाति माली निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
3. रणजीत पुत्र बुद्धिप्रकाश जाति माली निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
4. राजेश पुत्र बुद्धिप्रकाश जाति माली निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
5. विमला पुत्री बुद्धिप्रकाश पत्नि सत्यनारायण जाति माली निवासी अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी।
6. सुरेश कुमार पुत्र बुद्धिप्रकाश जाति माली निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. राजेन्द्र जैन पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी नैनवॉ तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. कमल कुमार जैन पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी नैनवॉ तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
3. दिनेश जैन पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी नैनवॉ तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
4. कंचन बेवा मोहनलाल जाति महाजन निवासी नैनवॉ तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
5. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 12.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गुढादेवजी पटवार मण्डल गुढादेवजी तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 393 के खसरा संख्या 295 रकबा 0.8333 है0 कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम गुढादेवजी पटवार मण्डल गुढादेवजी तहसील नैनवां में भूमि अप्रार्थीगण के पिताजी स्व0 मोहनलाल के खातेदारी की खाता संख्या 358 के खसरा संख्या 294 / 1508 रकबा 0.2265 है0 कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि के खसरा संख्या 295 में आने जाने का एक मात्र रास्ता गुढादेवजी से गावडी जाने वाली आम डामर सडक के पूर्वी ओर खसरा संख्या 294 / 1508 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे 15 फीट चौडा सम्पूर्ण लम्बाई में होता हुआ खसरा संख्या 295 तक पहुँचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से बिन्दू अ से बिन्दू ब तक दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगणों ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्ध करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि [illegible] के लिए रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा [illegible] तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नक्शा [illegible] पत्र आदि पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:24:58 IST
Reason: SelfAttested

Reader/Decesion/2021

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार खसरा संख्या 295 तक पहुँचने के लिए खसरा संख्या 294/1508 की उत्तरी सीमा की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 294/1508 में से रकबा 42 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 84 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–04 बीघा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 00–04 बीघा है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट गुढादेवजी में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम गुढादेवजी पटवार मण्डल गुढादेवजी तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 393 के खसरा संख्या 295 रकबा 0.8333 है0 कृषि भूमि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 294/1508 में से रकबा 42 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 84 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–04 बीघा भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। जिसे परिशिष्ट "क" में में लाल स्याही से दर्शाया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:24:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner